न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारीः– पवन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या–50 / 2018

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर

प्रार्थी

बनाम्

1. बलराज सिंह पुत्र श्री दौलतसिंह जाति यादव निवासी अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 (2) आर.टी.एक्ट

::निर्णय:: दिनांक–02.12.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी की ओर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके चक 16ए का मु0नं0 299/447 के किला नं0 22ता25 में 0.810 हैक्टर भूमि अप्रार्थी के नाम से खातेदारी दर्ज है अप्रार्थी द्वारा संपरिवर्तन किये कृषि भूमि पर किला नम्बर 22 में वाणिज्यक दुकानों का अवैध निर्माण किया है। अप्रार्थी ने राज. काश्तकारी अधिनियम की शर्तो की अवहेलना की है। उक्त भूमि के किला नम्बर 22 में अप्रार्थी वाणिज्यक दुकानों का अवैध निर्माण बिना संपरिवर्तन करवाये किया जा चुका है। अप्रार्थी ने राज.काश्तकारी अधिनियमों की पालन नहीं की है एवं अवैध रूप से बिना संपरिवर्तन करवाये विधि विरूद्ध कृत्य कर कृषि भूमि की उर्वरा क्षमता को नष्ट कर रहा है जबकि उक्त कृषि भूमि कृषि कार्यो के लिए आवंटित की गई है। अप्रार्थी ने उक्त भूमि का कभी भी कृषि कार्यो हेतु उपयोग नहीं किया है। इसलिए उक्त भूमि की व्यवस्था एवं सुव्यवस्था हेतू रिसीवर की नियुक्ति की जानी आवश्यक है। चूंकि उक्त कृषि भूमि राज्य सरकार द्वारा कृषि कार्यो हेतू आवंटन की गई है जिसमें राज्य सरकार का हित निहित है लेकिन अप्रार्थी बिना संपरिवर्तन करवाये उक्त भूमि को वाणिज्यक एवं औधोगिक उपयोग में लेकर आवंटन की शर्तो की अवहेलना कर रहा है जिससे राज्य पक्ष को आर्थिक क्षति पंहुची है ऐसी स्थिति में भी उक्त भूमि को रिसीवर किया जाकर कब्जा बहक सरकार लिया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी न्यायालय में उपस्थित आया। अप्रार्थी की ओर जरिये अधिवक्ता श्री तिलकराज चुघ ने जवाब प्रार्थना प्रस्तुत कर प्राथमिक आपत्तिया दर्ज करवाते हुए निवेदन किया कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90क(5) में परन्तुक के अनुसरण में " किन्तु राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति तथा अनुवर्ती अन्तरितियों को सम्बन्धित भूमि (जो अकृषि प्रयोजनार्थ प्रयुक्त हो रही हो) से उपरोक्त प्रकार से बेदखल करने के स्थान पर उसके या उनके यथास्थिति राज्य सरकार को उपधारा (4) के [illegible] प्रीमियम अदा करने के अतिरिक्त शास्ति के रूप में ऐसा जुर्माना जो निर्धारि[illegible] चुका हो देने पर उक्त भूमि को रखने और कृषि के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन [illegible] की अनुमति दे सकेगी " उक्त संदर्भ में राजस्थान सरकार [illegible] हुआ है जो इस जवा[illegible] पत्र के साथ संलग्न है। यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित [illegible]थ्यों की रोशनी में कोई [illegible] प्रस्तुत नही किया गया है ऐसी स्थिति में यह प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त मुझ अप्रार्थी द्वारा चक 16ए का मु0नं0 299/447 की कृषि भूमि बाबत् खाता विभाजन का वाद पत्र प्रस्तुत किया था। जिसमें न्यायालय द्वारा अन्तिम डिक्री जारी की जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.01.17 15:52:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

चुकी है। बंटवारा के वाद पत्र में उक्त कृषि भूमि बाबत् 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसमें भी 177(ए) के प्रार्थना पत्र का विवरण दर्ज किया गया था जिसका निस्तारण दिनांक 17.08.2020 को विस्तृत रूप से विवेचन किया जा चुका है ऐसी स्थिति में यह प्रार्थना पत्र मौजुदा स्टेज पर निरस्त किये जाने योग्य है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रिसीवर नियुक्त किये जाने का आग्रह किया। वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया गया तथा आग्रह किया गया कि रिसीवर नियुक्त करने की कठोर उपचार प्रदान किया जाना कतई न्यायोचित नही है।

पत्रावली का अवलोकन व ध्यानपूर्वक मनन किया गया। चूंकि राज्य सरकार द्वारा कृषि भूमि पर हुए निर्माण को विनियमित करने का आदेश दिनांक 11.02.2020 को प्रदत किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी में वादग्रस्त भूमि आज भी कृषि भूमि के रूप में दर्ज है।

हमने दोनो पक्षों की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का सुक्ष्मता से अवलोकन किया। दोनो पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का भी अध्ययन किया। अप्रार्थी के विद्धवान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया।

धारा 212 आरटीए के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिये न्यायालय के समक्ष तीन बिन्दू है, जिन पर न्यायालय का विवेचन इस प्रकार से है–

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरणः**–प्रश्नगत भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी के नाम से दर्ज है एवं अप्रार्थी उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार है। जब राज्य सरकार के द्वारा नगर सुधार कर तथा प्रीमियम अदा करने के अतिरिक्त शास्ति के रूप में निर्धारित जुर्माना चुका देने पर उक्त भूमि को रखने और कृषि के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन में उपयोग करने की अनुमति दिये जाने का प्रावधान किया गया है, तो ऐसी स्थिति में अप्रार्थी को प्रश्नगत भूमि को संपरिवर्तित करवाने का अवसर दिये गये बगैर धारा 212 आरटीएक्ट के तहत रिसीवर जैसा कठोरतम उपचार/आदेश इस स्तर पर प्रदान किया जाना एवम् रिकार्डेड खातेदार कृषक को उसके हक व अधिकार की भूमि से रिसीवर नियुक्त कर वंचित किया जाना कतई न्यायोचित प्रतीत नही होता है। चूंकि वर्णित भूमि अप्रार्थी की कृषि भूमि है जिसमें अप्रार्थी खातेदार कृषक है, अगर उक्त भूमि को रिसीवर नियुक्त किया जाता है तो खातेदारी वादग्रस्त कृषि भूमि का कृषक विपरित रूप से प्रभावित होगा। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में ना होकर अप्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में साबित/सिद्ध नही है।

2. **सुविधा का संतुलनः**–जहाँ तक सुविधा का संतुलन का तथ्य है, अगर रिसीवर नियुक्त किया जाता है, तो न केवल खातेदारी वादग्रस्त कृषि भूमि के कृषक पर विपरीत रूप से प्रभाव पड़ेगा बल्कि अप्रार्थी अपनी कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि के उपयोग, उपभोग के साथ–साथ अपनी अकृषि प्रयोजनार्थ प्रयुक्त कृषि भूमि के नियमन (संपरिवर्तन) करवाने के अधिकार से भी वंचित हो जायेगा [illegible] अप्रार्थी को अधिक असुविधा होगी। अतः सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी [illegible] पक्ष [illegible] साबित/सिद्ध होता है न की प्रार्थी के पक्ष में।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.01.17 15:52:17 IST
Reason: SelfAttested

3. **अपूर्णीय क्षतिः**– जहाँ तक अपूर्णीय क्षति का प्रश्न है, अप्रार्थी वादग्रस्त कृषि भूमि का खातेदार कृषक है राज. काश्त. अधिनियम के तहत अप्रार्थी उपरोक्त कृषि भूमि का खातेदार कृषक होनें के कारण उक्त कृषि भूमि पूर्णरूप से उपभोग एवं उपयोग करने की अधिकारिता रखता है। ऐसी स्थिति में अगर अप्रार्थी की कृषि भूमि को रिसीवर किया जाता है

Scanned with CamScanner

तो अप्रार्थी उक्त कृषि भूमि के उपभोग एवं उपयोग से वंचित हो जावेगा, जिससे अप्रार्थी अपने कानूनी अधिकारों से वंचित हो जायेगा। फलतः न केवल अप्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी बल्कि उक्त कृषि भूमि का खातेदार कृषक होने के कारण वादग्रस्त कृषि भूमि का खातेदार कृषक विपरीत रूप से प्रभावित होगा, जो कि काश्तकार के लिए अपूर्णीय क्षति होगी। ऐसी स्थिति में अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में साबित/सिद्ध नही है।

उपर्युक्तानुसार धारा 212 आरटीए के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिये न्यायालय के समक्ष उपस्थित तीनों बिन्दू प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाना कतई न्यायोचित एवम् विधिसम्मत नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

::आदेश::

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के विरूद्ध तय किये गये है। इस आधार पर प्रार्थी न्यायालय से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक **02.12.2020** को सरे इजलास सुनाया गया।

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

पवन कुमार
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.01.17 15:52:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner